राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दाण्डिक अपील संख्या664/2009
राजस्थान राज्य बनाम सुमेरसिंह व अन्य।

निर्णय दिनांक : 30 जून,2009

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

अपीलार्थी राजस्थान राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार उप0
प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनूप ढण्ड उप0

न्यायालय द्वारा-

1- राज्य सरकार की ओर से यह अपील, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के निर्णय दिनांक 30/1/2008 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण सुमेरसिंह व बजरंगसिंह को अपराध धारा 323 व 325 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है।

2- संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27/11/96 को आहत रिछपालसिंह ने एक पर्चा बयान प्रदर्श पी-1 थानाधिकारी थाना

रघुनाथगढ को इस आशय का दिया कि दिनांक 26/11/96 को दिन के साढे बारह बजे वह पिपराली बाजार में मांगीलाल सांई की दुकान के सामने बैठा था। अचानक उसकी ढाणी के सुमेरसिंह, बजरंगसिंह राजपूत हाथों में लाठियां लेकर आये और आते ही बजरंगसिंह ने उसके बांये हाथ पर लाठी की मारी, वह उठकर भागने लगा तो नहीं जाने दिया और दोनों लाठियों से धडाधड मारने लग गये। उसने बारतौबा किया तो मगनसिंह व रामेश्वर ने आकर छुडाया वरना और मारते। फिर मगनसिंह व भंवरसिंह ने उसे लाकर सीकर श्रीकल्याण चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। इसपर पुलिस द्वारा प्रकरण संख्या 307/96 अपराध धारा 341,323,308 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया जाकर, अन्वेषण शुरु किया गया तथा अन्वेषण के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्व अपराध धारा 308, 341, 325, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रकरण विचारण हेतु सैशन न्यायाधीश, सीकर को कमिट किया गया। जहां से प्रकरण विचारण हेतु धारा 228 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को भिजवाया गया।

3- तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से आरोपित किया तो अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर मामलें में अन्वीक्षा चाही। इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहान के बयान लेखबद्व कराये गये। अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया।

4- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने

अपने निर्णय दिनांक 30/1/2008 के द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दोषमुक्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्व राज्य सरकार की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5- मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

6- राज्य सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार ने इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने विधि की समस्त अपेक्षित अपेक्षाओं को ध्यान में नहीं रखकर, अपना आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्व है। उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहान की साक्ष्य की विधि अनुसार सही रुप से विवेचना किये बगैर ही अपना आदेश पारित कर दिया। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाहान पी.डब्लू.1 रिछपालसिंह, पी.डब्लू.3 डॉ0 गोविन्दराम और पी.डब्लू.4 भंवरसिंह के बयानों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। अन्त में उनका यह तर्क है कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांक 30/1/2008 को अपास्त कर, अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोपित

अपराधों के लिये दण्डित किया जावे।

7- इसके विपरीत अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप ढण्ड ने विद्वान लोक अभियोजक की दलीलों का घोर विरोध किया और इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधि की समस्त अपेक्षित अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहान की साक्ष्य की सही विवेचना करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तारांकित गवाह पी.डब्लू.4 भंवरसिंह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि अन्य गवाहान के बयानों में भी काफी विरोधाभास है।

अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान, उमराव बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य, एस.एस.सी.2006 (10)पृष्ठ 136 की ओर आकर्षित करवाया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिये कि यदि वे उसमें थोडी सी भी दोषमुक्ति की संभावना पाते हैं तो

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाना चाहिये।

8- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए और उपर्युक्त विधिक दृष्टान्त की रोशनी में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के निर्णय दिनांक 30/1/2008 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है और यह अपील बलहीन होने से खारिज की जानी चाहिये।

9- परिणामत: यह अपील खारिज की जाती है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के निर्णय दिनांक 30/1/2008 की पुष्टि की जाती है।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/